उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या:108/2021/ 2476/ छप्पन-2021-48/2010
लखनऊ, दिनांक: 23 दिसम्बर, 2021
कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धि-पत्र

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में प्रवक्ता (मैकेनिकल) के पद पर कार्यरत श्री बृजेश की संविदा सेवा शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-100/2021/1975/ छप्पन-2021-48/2010 दिनांक 22 नवम्बर, 2021 के द्वारा वर्तमान में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 70,579/-(रूपए सत्तर हजार पॉच सौ उन्नयासी मात्र) एवं यथा समय अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि के आधार पर दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 से आगामी 01 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2021 से सम्बन्धित कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर-1 की नौवीं पंक्ति में टंकण त्रुटि वश श्री जितेन्द्र सरोज अंकित हो गया है, जिसके स्थान पर श्री बृजेश पढ़ा जाए।

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

श्री बृजेश,
प्रवक्ता (मैकेनिकल),
एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पृ0सं0-108/2021/2476(1)/छप्पन-2021-15/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री बृजेश, प्रवक्ता (मैकेनिकल) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी 01 प्रति अभिलेखार्थ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in